न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –94/2022

अनवान : –

1. सतवीर पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।
2. बुधराम पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां वादी
श्री उम्मेद मोठसरा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 22/8/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 केआरपी के खाता सं0 147/129 के मु0न0 2 के किला न0 12 ता 19, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 5, 9, 10 मु0न0 19 के किला न0 17 की कुल 5.060है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा चेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। चेतराम के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखासगत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में विनोद कुमार के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी चक 3 केआरपी चालू प्रदर्श 1 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 3 केआरपी के खाता सं0 147/129 के मु0न0 2 के किला न0 12 ता 19, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 5, 9, 10 मु0न0 19 के किला न0 17 की कुल 5.060है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केआरपी के खाता सं0 147/129 के मु0न0 2 के किला न0 12 ता 19, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 5, 9, 10 मु0न0 19 के किला न0 17 की कुल 5.060है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र की बजाए वादी सतवीर प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र प्रतिवादी सं0 2 बुधराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/3/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S)
भादरा जिला हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 94 / 2022

अनवान : –

1. सतवीर पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा। वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।
2. बुधराम पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादी श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 केआरपी के खाता सं0 147 / 129 के मु0न0 2 के किला न0 12 ता 19, 22 / 1, 22 / 2, 23 / 1, 23 / 2, 24 / 1, 24 / 2, 25 / 1, 25 / 2 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 5, 9, 10 मु0न0 19 के किला न0 17 की कुल 5.060है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र की बजाए वादी सतवीर प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र प्रतिवादी सं0 2 बुधराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार** घोषित किये **जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़